अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच

संविधान

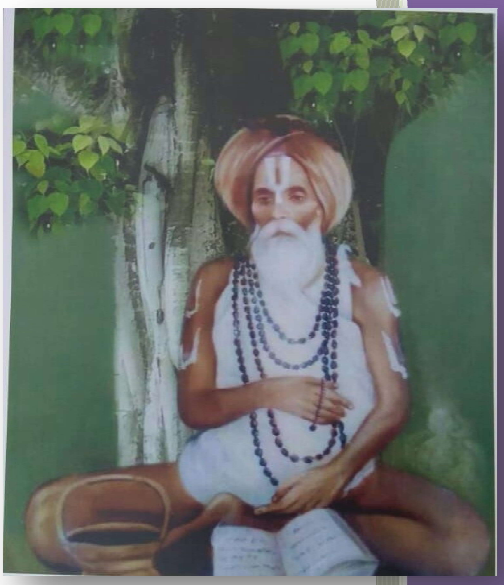

-: प्रधान कार्यालय :-

पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर, बसुहार मजदिया , प्रखण्ड – कुर्सेला , जिला – कटिहार - 854101

अखिल भारतीय गंगोता

-आशा की नई किरण

यह एक गंगोता जाति विशेष एक स्वयंसेवी, गैर राजनीतिक , अलाभकारी संगठन है।
इस संगठन पर इसके संरक्षक एवं प्राथमिक सदस्यों का अधिकार होगा।

उद्देश्य:-

- **जाति के अंदर शिक्षा का व्यापक विस्तार करना** ,वर्तमान समयानुकूल नयी पीढ़ी तैयार करना ,**मेधावी छात्र** – छात्राओं को प्रोत्साहन देना ,खेल गतिविधि को बढ़ावा देना, गंगोता **जाति के सभी प्रकार के कलाकारों को बढ़ावा देना।**
- बच्चों के लिए वार्षिक कार्यक्रम **"एकलव्य महोत्सव" आयोजित करना एवं बेहतर प्रदर्शन करनेवाले प्रतिभा को** पुरस्कृत करना है ।
  उपरोक्त सभी कार्यक्रम के सही क्रियान्वयन के लिए गंगोता जाति के निवास ग्राम में **"गंगोता ग्राम विकास भारती** " का गठन कराना।
- इसके अलावे क्रमशः पंचायत, **प्रखण्ड**, जिला एवं राज्य स्तरीय समितियों का गठन कराना।
- **इस प्रकार के समितियों को ढाँचागत विकास में मदद करना।**
- **सभी स्तर के समितियों को प्रशिक्षण देकर जाति के सर्वांगीण विकास** के लिए प्रोत्साहित करना। **इन समितियों के** सहयोग से समय-**समय पर आवश्यक सर्वेक्षण करवा कर उपयोगी जानकारी प्राप्त करना।**
- प्राकृतिक आपदा के समय में **यथासंभव सहयोग प्रदान करना।**
- **आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करना** है |
- **स्वजातीय लोगों को सुलभ और सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल सके** , इसकी पहल करना |
- **पुस्तक दान के लिए मुहिम चलना , जो भी पुस्तक या जाएँ उनको समाज के पिछड़े लोगों के बच्चों** में वितरित करना |
- वर्ष में त्रैमासिक **गंगोता क्रांति अधिवेशन** का विभिन्न जिला में आयोजन करना |
- गंगोता जाति के समग्र उत्थान के लिए यथासमय व आवश्यकतानुसार जो भी कदम उठाए जा सकते हैं "गंगोता सेवा भारती" के निर्णयानुसार किए जाएंगे |

संगठन का स्वरूप

इस संगठन के मुख्य प्रशासकीय ईकाई का नाम "**गंगोता सेवा भारती** " होगा।

नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास और सहयोग के लिए "**गंगोता मातृशक्ति विकास मंच"** नामक अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच की अनुषांगिक इकाई होगी जो गंगोता सेवा भारती के साथ मिलकर कार्य करेगी लेकिन पूरी टीम नारी शक्ति की ही होगी | इस इकाई के अध्यक्षा गंगोता सेवा भारती की उपाध्यक्ष होंगी |

विद्यार्थियों और शिक्षिकों के बीच समन्वय , परस्पर सहयोग , नोट्स का आदान –प्रदान, परीक्षा अद्यतन सूचना , ऑनलाइन परीक्षा , ऐवम मेधावी विद्यार्थियों का चयन इत्यादि शिक्षण संबंधी कार्य के लिए ही **गंगोता विद्यार्थी / शिक्षक विकास मंच** नामक अनुषांगिक इकाई होगी |

इसके अलावा इस संगठन/संस्था में ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक में निम्नांकित रूप में पदाधिकारी होंगे :-

गंगोता सेवा भारती में अधिकतम 64 पद निम्नवत होंगे :-

- संरक्षक -04 पद
- संयोजक -01 पद
- सचेतक-1 पद
- अध्यक्ष – 01 पद
- उपाध्यक्ष – 04 पद
- महामंत्री -04 पद
- सचिव – 1 पद
- संयुक्त सचिव – 06 पद
- संगठन सचिव – सभी जिला के जिलाध्यक्ष (12)
- कार्यालय सचिव – 01 पद
- उप कार्यालय सचिव – 01 पद
- कोषाध्यक्ष – 01 पद
- उपकोषाध्यक्ष – 01 पद
- लोकपाल – 01 पद
- मुख्य प्रवक्ता – 01 पद
- सहायक प्रवक्ता – 01 पद
- मुख्य चुनाव प्रभारी -01 पद
- जनसंपर्क अधिकारी -01 पद
- सहायक चुनाव प्रभारी -04 पद
- सलाहकार – सभी 17 समितियों के अध्यक्ष

गंगोता सेवा भारती/ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संगठन का सर्वोच्च पद **संयोजक** का होगा | संयोजक का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा | अन्य सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए ही होंगे | संगठन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव

मतदान से होगा | निर्वाचित अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष अपने स्वविवेक व संयोजक के विचार विमर्श से अपनी टीम का गठन कर सकेंगे |

राष्ट्रीय स्तर के समिति का गठन (मनोनयन द्वारा) राष्ट्रीय कार्यकारिणी सर्वसम्मति या बहुमत से करेगी।
राज्य स्तर से वार्ड स्तर तक के समिति का गठन निम्नांकित रूप में होगा :-

सर्वप्रथम गंगोता जिला विकास भारती के अध्यक्ष , सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव गंगोता सेवा भारती / राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में होगी | जो सदस्य संगठन के प्राथमिक सदस्य होंगे , वहीं संगठन के किसी भी चुनावी प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे | जो भी सदस्य निर्वाचित होकर अध्यक्ष , सचिव और कोषाध्यक्ष बनकर आएंगे उनको सर्वसहमती से अपनी कमिटी मतगणना के 30 दिनों के अंदर " गंगोता जिला विकास भारती" का गठन करना अनिवार्य होगा | इसमें निम्नवत सदस्य होंगें :-

- अध्यक्ष – 01 पद
- उपाध्यक्ष – 04 पद
- महामंत्री -01 पद
- सचिव – 1 पद
- संयुक्त सचिव – 03 पद
- संगठन सचिव – सभी प्रखण्ड के प्रखण्ड अध्यक्ष { चुनावी प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित }
- कार्यालय सचिव – 01 पद
- उप कार्यालय सचिव – 01 पद
- कोषाध्यक्ष – 01 पद
- उपकोषाध्यक्ष – 01 पद
- जिला लोकपाल – 01 पद
- जिला मुख्य प्रवक्ता – 01 पद
- जिला सहायक प्रवक्ता – 01 पद
- जिला चुनाव प्रभारी -01 पद

{ मनोनीत केन्द्रीय कमिटी द्वारा }

इसी प्रकार सभी प्रखण्ड अध्यक्ष का चुनाव केन्द्रीय टीम के नेतृत्व में होगा | जो सदस्य संगठन के प्राथमिक सदस्य होंगे , वहीं संगठन के किसी भी चुनावी प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे | जो भी सदस्य निर्वाचित होकर प्रखण्ड अध्यक्ष , सचिव और कोषाध्यक्ष बनकर आएंगे उनको सर्वसहमती से अपनी कमिटी मतगणना के 30 दिनों के अंदर " गंगोता प्रखण्ड विकास भारती" का गठन करना अनिवार्य होगा |

प्रखण्ड स्तर की टीम अपने गंगोता पंचायत विकास मंच की टीम का मनोनय करेगी | पंचायत स्तर की टीम का गठन प्रखण्ड स्तरीय टीम व जिला स्तरीय टीम की सहायता से ग्राम स्तर की टीम और फिर वार्ड अध्यक्ष की नयुक्ति करेगी | वार्ड में सिर्फ वर्ड अध्यक्ष होगा परंतु पंचायत स्तर की टीम में निम्नवत सदस्य होंगें :-

- अध्यक्ष – 01 पद
- उपाध्यक्ष – 04 पद
- संगठन सचिव – सभी ग्राम के अध्यक्ष

- ❖ सचिव – 1 पद
- ❖ संयुक्त सचिव – 03 पद
- ❖ कार्यालय सचिव – 01 पद
- ❖ उप कार्यालय सचिव – 01 पद
- ❖ कोषाध्यक्ष – 01 पद
- ❖ उपकोषाध्यक्ष – 01 पद

प्रत्येक स्तर की समिति अपने-अपने स्तर पर निम्नांकित रूप में उप समितियों का मनोनयन कर सकती है|

विभिन्न समितियाँ

- ✓ विधि समिति।
- ✓ व्यवसायिक समिति।
- ✓ तकनीकी समिति।
- ✓ किसान समिति।
- ✓ शिक्षक समिति |
- ✓ चिकित्सक समिति |
- ✓ रेलवे कर्मी समिति |
- ✓ ग्रामीण चिकित्सक समिति
- ✓ साहित्य विकास समिति
- ✓ कला , संगीत , ऐवम खेलकुद समिति
- ✓ पुलिस कर्मी / सैनिक / अर्ध सैनिक समिति
- ✓ सीइंटिफ़िक कमिटी
- ✓ रैपिड हेल्प टीम
- ✓ सामूहिक विवाह हेतु समिति
- ✓ प्रवासी मामले की समिति
- ✓ गंगोता विवाह / सामूहिक विवाह / पुनर्विवाह हेतु समित

इसके अलावे **" गंगोता विद्यार्थी /शिक्षक विकास मंच "** नामक एक छात्र संगठन होगा। जिसका संचालन स्वतंत्र रूप से छात्रों और शिक्षिकों द्वारा विधिवत रूप से समिति बना कर किया जाएगा । "गंगोता सेवा भारती या राष्ट्रीय कार्यकारिणी " केवल संरक्षक की भूमिका में रहेगी। इस इकाई का काम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम / प्रश्नमंच / ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि का आयोजन करवाना होगा |

प्रत्येक स्तर की समिति का गठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा नामित पर्यवेक्षक की निगरानी में किया जाएगा। जिसका प्रमाण पर्यवेक्षक द्वारा लिखित रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को देना होगा।

निर्धारित शुल्क

- ✓ **"संरक्षक मण्डल"** के सदस्य, आजीवन सदस्यता शुल्क 5000/-(पाँच हजार रुपये)जमा करके ही बना जा सकता है।
- ✓ संगठन/संस्था में शामिल होने के लिए **"प्राथमिक सदस्यता"** ग्रहण करनी होगी।
- ✓ "प्राथमिक सदस्य" बनने के लिए ग्राम स्तरीय समिति में नामांकन कराना होगा।
- ✓ "प्राथमिक सदस्यता" शुल्क 500/-(पाँच सौ रुपये)होगा।
- ✓ यह शुल्क केवल तीन वर्ष के लिए मान्य होगा।
- ✓ "प्राथमिक सदस्यता" शुल्क में से 200/-(दो सौ रुपये) ग्राम समिति के लिए रहेगा।शेष राशि में से 100/- (सौ रुपये) पंचायत स्तरीय समिति के लिए,100/-(सौ रुपये) प्रखण्ड स्तरीय समिति के लिए, 50/- (पचास रूपये) जिला स्तरीय समिति के लिए और 50/- (पचास रूपये) राज्य स्तरीय समिति के पास जाएगा।
- ✓ संरक्षक सदस्यता वाली रूपये 5000/-(पाँच हजार) की राशि राष्ट्रीय कोष के लिए होगा।
- ✓ सदस्यता संबंधी राशि का उपयोग केवल कार्यालय, उपकरण, स्टेशनरी एवं बैठक आदि पर किया जाएगा।
- ✓ इसके अलावा "जाति कल्याण कोष" के लिए प्रति परिवार 50/-(पचास रूपये) मासिक की सहयोग राशि ग्राम स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। जिसको केवल विकासार्थ खर्च किया जाएगा।यह एक राष्ट्रीय स्तर का कोष होगा ,जिस पर "संरक्षक मण्डल" का नियंत्रण होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा ही इस राशि को खर्च किया जा सकता है।
- ✓ बड़े कार्यक्रम के लिए आवश्यक चन्दा जुटाया जा सकता है।
- ✓ इसके अलावा कोई अन्य राशि वसूल नहीं की जाएगी
- ✓ हरेक स्तर की समिति को राष्ट्रीय स्तर की समिति के पास वार्षिक आय-व्यय का लेखा -जोखा प्रस्तुत करना होगा।
- ✓ वित्तीय अनियमितता की स्थिति में दोषी समिति के खाते पर रोक लगा दी जाएगी।

संगठन के सभी समितियों का कार्यकाल

- ✓ इसका कार्यकाल केवल तीन वर्षों का होगा। संयोजक का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा |
- ✓ प्रत्येक दो वर्ष10 माह के पश्चात "संरक्षक मण्डल" द्वारा सभी प्रकार के समिति को भंग हो जाने की सूचना जारी की जाएगी।
- ✓ पुनः एक महीने तक में सभी प्रकार के समितियों की गठन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

- ✓ जिस समिति के गठन में व्यवधान उत्पन्न होगा वह समिति सीधे "संरक्षक मण्डल" के अधीन होगा।
- ✓ घोषित तिथि तक में पुराने समिति द्वारा नवगठित समिति को विधिवत संम्पूर्ण प्रभार सौंपना होगा।
- ✓ प्रभार नहीं सौंपने की स्थिति में कानून का उल्लंघन माना जाएगा।ऐसी स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्यवाही की जाएगी
- ✓ कोई भी व्यक्ति प्रत्येक स्तर के समिति में,(ग्राम से लेकर राज्य तक) किसी भी पद पर (निर्धारित पद में से) अधिकतम दो बार चयनित/निर्वाचित हो सकते हैं।अन्य अलग-अलग स्तर पर पुनः चयनित/निर्वाचित हो सकते हैं।जैसे अगर यदि ग्रामीण स्तर पर दो बार पदाधिकारी (कोई भी पद)बन जाते हैं तो पुनः कभी ग्रामीण स्तर पर तिबारा पदाधिकारी नहीं बन सकते। हाँ ; पंचायत, प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारी बन सकते हैं।

पदाधिकारी / सदस्य का निलंबन / निष्कासन

- राष्ट्रीय कार्यकारिणी को छोड़कर ग्राम समिति से राज्य समिति तक के बैठकों में लगातार तीन बैठकों में शामिल नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी/सदस्य को निलंबित कर दिया जाएगा । लिखित स्पष्टीकरण के बाद, कारण उचित पाए जाने की स्थिति में पुनः सदस्यता बहाल की जाएगी।इसका निर्णय उस समिति के अध्यक्ष करेंगे।
- संगठन के पदाधिकारी के रूप में अपने निर्धारित कर्तव्यों के पालन नहीं करने की स्थिति में पदमुक्त करते हुए संगठन से निलंबित कर दिया जाएगा।
- संगठन का राजनैतिक इस्तेमाल,वित्तीय अनियमितता/गबन का आरोप सिद्ध होना, अदालत द्वारा अपराधी साबित होना, एवं गैर कानूनी काम में लिप्त पाए जाने की स्थिति में उसकी प्राथमिक सदस्यता रद्द करते हुए उसे पूर्णतया संगठन/समिति से बाहर कर दिया जाएगा।

त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन- गंगोता अरुणोदय

"गंगोता अरुणोदय " नामक एक त्रैमासिक e - पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा। जिसमें केवल अपने जाति के विद्वानों द्वारा लिखित अपनी रचनाओं का प्रकाशन होगा । इसके अलावे जाति के इतिहास, वर्तमान स्थिति पर लेख,एवं प्रत्येक अंक में , समसामयिक गतिविधियों को भी स्थान दिया जाएगा। हर अंक में जाति के एक गाँव का संम्पूर्ण व्यौरा छापा जाएगा। आप सारी जानकारी संगठन के वेबसाईट www.gangotavikasmanch.in देख सकेंगे |

पुरस्कार और सम्मान

- *गंगोता जाति के सर्वांगीण विकास में अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित करनेवाले असाधारण व्यक्तित्व को " गंगोता रत्न " से सम्मानित किया जाएगा। जिसमें 11000/- (ग्यारह हजार रूपये)नगद,अनंत बाबा का स्मृति चिन्ह, प्रशस्तिपत्र एवं शॉल भेंट किया जाएगा।यह वर्ष में केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा।*

- *जिस व्यक्ति ने अपने जाति के लिए बेहतर कार्य किए हों, व्यक्तिगत रूप से असाधारण सफलता हासिल की हों,जिससे कि गंगोता जाति के लोगों का मस्तक गर्व से ऊँचा उठा हो को " गंगोता शिरोमणि " से सम्मानित किया जाएगा। जिसके अंतर्गत रुपये 5000/- (पाँच हजार) , अनंत बाबा वाला प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल भेंट की जाएगी। यह प्रतिवर्ष दिया जाएगा।इसके लिए एक से अधिक व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है।*

- *शिक्षा , कला और खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने क्रमशः **"शिक्षा रत्न" , कला रत्न", एवं "खेल रत्न"** से सम्मानित किया जाएगा। जिसमें रुपये 2500/- (दो हजार पाँच सौ) नगद,अनंत बाबा का प्रतीक चिन्ह, प्रशस्तिपत्र,एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया जाएगा।*

- *इसके अलावा अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने पर **दान श्री , ज्ञान श्री , सेवा श्री , ज्ञान दानी , साहित्य सेवा श्री , एकता श्री , विज्ञान श्री , आहार दानी , स्वयं सेवक** इत्यादि सम्मान /उपाधि दिया जाएगा |*

गंगोता आदर्श गाँव

- "**गंगोता आदर्श गाँव**" नामक पुरस्कार वैसे गाँव को दिया जाएगा, जिसने शिक्षा, खेल एवं कला तीनों विधाऔं में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो।इसके अंतर्गत रुपये 21000/- (इक्कीस हजार) नगद,एवं प्रशस्तिपत्र भेंट की जाएगी। एक बार पुरस्कृत गाँव पुनः दोबारा पुरस्कृत नहीं किए जाएँगे|

यह संगठन स्वयं सेवी संगठन है | वर्तमान समय में संगठन का सभी कार्य जन सहयोग से ही सम्पन्न होता है | यदि सभी जन कम से कम **₹ 50/- रुपये मासिक सहयोग करें तो संगठन का कार्य सुचारु रूप से चलता जाएगा | उम्मीद है आप हमेशा सहयोग करते रहेंगे |**

BANK ACCOUNT
A/C – 7498421352
IFS CODE – IDIB000K762
NAME – GANGOTA VIKAS MANCH
UPI ID- gvmdeep@indianbnk
Phonepe/ Googlepe/ Paytm- 9430926386